#### विकास आयुक्त का कार्यालय, सीप्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

\*\*\*\*\*

दिनांकः ६८.12.2016

फा.सं.सीप्ज-सेज़/ईएमएस/ई-वेस्ट/198/09-10/वॉल्यू-॥

## सार्वजनिक सूचना संख्या - 30/2016

# विषयः ई-अपशिष्ट (ई-वेस्ट) के निपटान / हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया

- अनुसार **₫**₹ ₩ हिं ह उपबंधों / हतास निपटान / विहित 妆 뫈 ई-अपशिष्ट नियमावली, 2016 部本 टैरिफ (प्रबंधन एवं निपटान) यूनिटों से घरेलू ई-अपशिष्ट सीप्ज-सज
- ई-अपशिष्ट के निपटान / हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:ς.
- एकत्र किए गए अनुपयोज्य (बेकार) ई-अपशिष्टों की सूची तथा फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा । यूनिट को निपटान के प्रयोजन के लिए किसी एक स्थान पर
- अटाना 乍 को निर्यात लाभ यदि उसने ई-अपशिष्ट सामग्री पर कोई लिया हो, होगा ≘
- डिसमेंटलरों यूनिट को विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा विधिवत नामिकागत पंजीकृत करना होगा ब्यौरा प्रस्तुत / रिसाइकलरों के बीज़क / सौंदा मूल्य का  $\widehat{\equiv}$
- अधीन सौदा मूल्य 华 जाएगी तथा आगम बिल यूनिट के आवेदन पर कार्रवाई की शुल्क का भुगतान किया जाएगा । ≘
- <u>1</u> 기동니 <u>চি</u> निरीक्षण किए सूचना देगा । यूनिट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-अपशिष्ट के लदान किए जाने के समय की  $\widehat{\phantom{a}}$
- तदपश्चात प्राधिकृत अधिकारी यूनिट द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ई-अपशिष्ट की सुरक्षाकर्मी के पहले जाएगा तथा इसकी बाहर निकलने प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परिवहन माल सूची तैयार कराई इसके पश्चात पर्यवेक्षण में उसी दिन परिवहन वाहन पर इसका लदान किया परिवहन वाहन के क्षेत्र से / वजन / संख्या की जांच करेगा | पंजीकरण प्रमाणपत्र सह पास बुक अद्यतन किया जाए । जाएगी । वीडिओग्राफी भी कराई अंतर्वस्तु ŝ
  - として यूनिट को 90 दिनों के अंदर डिस्मेंटलर / रिसाइकलर से उपयोग प्रमाणपत्र लेकर करना होगा । (ii≽
- स्चनाओं / अनुदेशों को अधिक्रांत सार्वजनिक हुए यह सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है जारी सभी कार्यालय द्वारा E S संबंध भे, भरते Ţ Ŝ ω.

यह विकास आयुक्त, सीप्ज-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(विजय प्रकाश शुक्ल) संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज्नसेज़

퓦,

### GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE ANDHERI(E), MUMBAI-400096

F.No.SEEPZ-SEZ/EMS/E-Waste/198/09-10/VOL-II | 3+345 Date:09.12.2016

## PUBLIC NOTICE No. 30/2016

## Subject: Procedure for disposal/removal of E-waste -

- Handling) Rules, 2016. Procedure for disposal/removal of e-waste from the SEEPZ SEZ Units to DTA will be with the provisions/conditions prescribed in the E-waste (Management and
- The procedure for disposal/removal of e-waste will be as under:
- one place Unit will submit list and photographs of unserviceable e-waste items collected at for the purpose of disposal
- ij) Unit will pay back any export benefit, if any, taken on the e-waste materials
- duly empanelled by the office of the Development Commissioner iii) Unit will submit transaction value/ invoice of the registered dismantler/recycler
- transaction value under a Bill of Entry. کا The application of the unit will be processed and duty will be paid on the
- immediately after inspection by the Authorised Officer. v) The Unit will intimate the time for inspection of the e-waste and subsequent loading
- transport Manifest is prepared and Registration Certificate-cum-Passbook is updated. e-waste as per the declaration of the Unit and subsequently it will be loaded on the vi) Thereafter the Authorised Officer will verify the nature/content/weight/ no. of the security staff. transport vehicle on the Before leaving the zone, the Authorised Officer will ensure same day under his supervision and videography by that the the
- Unit will submit a Utilization certificate from the dismantler/ recycler within 90
- This replaces all Public Notices/ Instructions issued by this office in this regard.

This issues with the approval of the Development Commissioner

(V.P.Shukla)

Joint Development Commissioner

1. Specified Officer, SEEPZ SEZ

1.Specified Officer, SEEPZ SEZ

2. IT section for uploading on the office website.